

अजय कुमार मित्तल से पहले, जे.

मेसर्स थर्मैक्स लिमिटेड-याचिकाकर्ता बनाम नगरपालिका निगम, चंडीगढ़-
प्रतिवादी

2015 का मध्यस्थता मामला सं. 71

09 अक्टूबर, 2017

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-खंड 11 (4), (5), (6)-विवाद से संबंधित सभी पत्राचार में सीधे शामिल एक मध्यस्थ-तटस्थ और निष्पक्ष मध्यस्थ-नामित मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित अधिकार क्षेत्र का आह्वान-आयोजित, जहां पक्षों के बीच एक नियुक्ति प्रक्रिया पर सहमति हो गई है, तो पक्ष मुख्य न्यायाधीश से 3 स्थितियों में एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है:क) एक पक्ष सहमत प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कार्य करने में विफल रहा है,ख) पक्ष या दो नियुक्त मध्यस्थ मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं,ग) विज्ञापन संस्थान सहित कोई व्यक्ति उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को करने में विफल रहता है-यदि परिस्थिति के अनुसार मुख्य न्यायाधीश एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकते हैं तो नामित मध्यस्थ-न्यायालय, एक मध्यस्थ की नियुक्ति करने से पहले प्रस्तावित मध्यस्थ से लिखित रूप में प्रकटीकरण की मांग करेगा ताकि पक्षकार अपने स्वयं के कर्मचारियों को मध्यस्थ के रूप में चुनने से बच सकें-संशोधित अधिनियम की आदेश 12 (5) यह स्पष्ट करती है कि 7 वीं अनुसूची के तहत आने वाले व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं हैं-यह विवादित पक्षों में से किसी एक के कर्मचारियों की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाता है-इसलिए, वर्तमान मामले में मध्यस्थ के रूप में नामित अधीक्षक अभियंता पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय लेते समय तटस्थ या निष्पक्ष नहीं होगा।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की खंड 11 (6) के एक नंगे पठन से पता चलता है कि जहां एक अनुबंध में पक्षों द्वारा एक नियुक्ति प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त की गई है, तो एक पक्ष मुख्य न्यायाधीश से केवल तीन निर्धारित स्थितियों में मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अनुरोध कर सकता है। क) एक पक्ष सहमत प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहा है;बी) पक्ष या दो नियुक्त मध्यस्थ मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक समझौते पर पहुंचने में

विफल रहे हैं; और सी) एक संस्था सहित एक व्यक्ति उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को करने में विफल रहता है। हालांकि, अधिनियम की खंड 21 में कहा गया है कि जब तक इसके विपरीत न हो, किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही

मेसर्स थर्मैक्स लिमिटेड v. नगरपालिका निगम,

791

चंडीगढ़ (अजय कुमार मित्तल, जे.)

यह उस तारीख से शुरू होगा जिस दिन प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थ को विवाद के संदर्भ के लिए अनुरोध प्राप्त किया जाता है।

(पैरा 11) ने आगे कहा कि, लेकिन यदि परिस्थितियां आवश्यक हैं, तो मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के नामित व्यक्ति को नामित मध्यस्थ के अलावा एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। न्यायालय को अधिनियम की खंड 11 (8) में निहित प्रावधानों का भी उचित सम्मान करना आवश्यक है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यह सुनिश्चित करने के अलावा कि मध्यस्थ के पास पक्षों के समझौते द्वारा मध्यस्थ के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं, न्यायालय को अन्य विचारों को भी ध्यान में रखना होगा जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित करने की संभावना रखते हैं।

(पैरा 15)

आगे अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले में नामित मध्यस्थ अर्थात् अधीक्षण अभियंता को निष्पक्ष नहीं ठहराया जा सकता है और वह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। संलग्नक पी. 3, पी. 5, पी. 7 और संलग्नक पी. 10 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कार्यकारी अभियंता, एम. सी. पी. एच., प्रभाग संख्या 4, चंडीगढ़ से याचिकाकर्ता को किए गए सभी पत्राचार का समर्थन अधीक्षण अभियंता, एम. सी. पी. एच., सर्कल, चंडीगढ़ यानी नामित मध्यस्थ को भी किया गया था। अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ स्वतंत्र और निष्पक्ष है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता की यह आशंका कि नामित मध्यस्थ, यानी अधीक्षण अभियंता निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेगा, निराधार नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से संकेत मिलेगा कि इस विश्वास को

स्वीकार करना उचित होगा कि समझौते में नामित मध्यस्थ स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करेगा।

ऐसा होने पर, इस न्यायालय को अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षों के बीच आई. एस. के निर्णय के लिए एक मध्यस्थ को नामित करने का अधिकार है।

(पैरा 19)

आगे अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए याचिका की अनुमति दी जाती है। मैं एतद्वारा इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हाउस, सेक्टर 40-बी, चंडीगढ़ के निवासी, न्यायमूर्ति को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करता हूँ, जो पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवादों पर ऐसे नियमों और शर्तों पर निर्णय लेने के लिए है जो विद्वान एकमात्र मध्यस्थ को उचित और उचित लगते हैं। निस्संदेह, विद्वान एकमात्र मध्यस्थ होगा।

792

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

पक्षकारों के संबंधित दावों के संबंध में इस आदेश में व्यक्त किसी भी प्रथमदृष्टया राय से प्रभावित हुए बिना पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निर्णय लें।

(पैरा 25)

अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

मयूर कंवर के साथ, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

V.K.Sachdeva, अधिवक्ता और दीपाली पुरी, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता

अजय कुमार मित्तल, जे।

(1) याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के साथ विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, "अधिनियम") की खंड 11 (4), (5) और (6) के तहत तत्काल याचिका दायर की है।

(2) याचिका में वर्णित विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता एक इंजीनियरिंग कंपनी है। इसने सार्वजनिक

मल-निकास प्रणाली में छोड़े गए अपशिष्ट के कुशल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है। प्रतिवादी ने चंडीगढ़ के पास दिग्गयां में 15 एम. जी. डी. क्षमता के मौजूदा मलजल शोधन संयंत्र को 30 एम. जी. डी. तक उन्नत करने के लिए एक निविदा जारी की ताकि आने वाले मलजल को बी. ओ. डी. 30 एम. जी. के मानक तक पहुंचाया जा सके। एमबीबीआर प्रौद्योगिकी पर 15 एम. जी. डी. की नई इकाइयाँ स्थापित करके। उक्त निविदा 180 दिनों के लिए सफल परीक्षण के बाद 120 महीने के संचालन और रखरखाव के साथ-साथ एकमुश्त/टर्नकी आधार पर डी. बी. आई. टी. के अनुसार छह महीने के लिए प्रदर्शन-संचालित थी। 28.2.2007 पर, याचिकाकर्ता कंपनी को अनुबंध प्रदान किया गया और पक्षों के बीच समझौते को निष्पादित किया गया। प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कार्यकारी अभियंता द्वारा से किया गया था। विवाद के मामले में मध्यस्थता के लिए समझौते के खंड 25-ए का प्रावधान किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि सभी विवादों को संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। तथापि, प्रभारी मुख्य अभियंता के पास किसी भी पक्ष के आवेदन पर मध्यस्थ को बदलने का अधिकार होगा। अनुबंध दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता को उपचार संयंत्र के संचालन और रखरखाव का काम सौंपा गया था, जो सीधे तौर पर उत्पादित कीचड़ से जुड़ा हुआ था, जितना कि उपचार के बाद संयंत्र द्वारा उपचारित मलजल को उपचारित पानी और कीचड़ में अलग किया गया था। जब तक प्रतिवादी द्वारा कीचड़ को हटाया नहीं जाता और कीचड़ के भंडारण के लिए गड्ढों में नहीं ले जाया जाता, तब तक संयंत्र

एम/एस थर्मैक्स लिमिटेड v. नगरपालिका निगम,

793

चंडीगढ़ (अजय कुमार मित्तल, जे.)

संचालन नहीं कर सके। इस कार्य के दायरे में कीचड़ को संभालना, कीचड़ को हटाना, सीवरेज के उपचार के लिए रसायनों की आपूर्ति और पूरे संयंत्र के लिए निगरानी और वार्ड प्रदान करना शामिल नहीं था। 27.5.2010 पर, परियोजना को 180 दिनों के लिए परीक्षण के आधार पर चालू किया गया था जो 27.11.2010 पर समाप्त हो गया और सफल साबित हुआ। आपूर्ति किए गए डिजाइन से संतुष्ट होकर, प्रतिवादी ने 29.11.2010 पर एक प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि संयंत्र डिजाइन किए गए मानदंडों और एन. आई. टी. स्थितियों के अनुसार संतोषजनक प्रदर्शन कर रहा था। इस प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, 1,000/- रुपये की बैंक गारंटी भी जारी की गई। रखरखाव और संचालन की अवधि

28.11.2010 से शुरू हुई और अभी भी कार्यान्वयन के अधीन थी। 120 महीनों के लिए संचालन और रखरखाव के लिए मूल्य विभाजन रु। लगभग 600 लाख यानी 5 लाख रुपये प्रति माह। सितंबर 2014 तक, प्रतिवादी अपने संविदात्मक दायित्व के निर्वहन में अलग-अलग निविदाएं/अनुबंध जारी करके लगातार कीचड़ को हटा रहा था। इसने रसायनों की आपूर्ति के लिए अनुबंध भी किए। 18.9.2014 पर, याचिकाकर्ता ने कार्यकारी अभियंता से कीचड़ के निपटान के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली और श्रमशक्ति प्रदान करने का आह्वान किया। हालांकि, कार्यकारी अभियंता का विचार था कि कीचड़ को हटाना और रसायनों के साथ इसका उपचार याचिकाकर्ता के काम के दायरे में था। याचिकाकर्ता ने कार्यकारी अभियंता को 22.9.2014 पर लिखा और दिनांकित 18.9.2014 पत्र का अपना बिंदुवार जवाब प्रस्तुत किया। 29.9.2014 पर, कार्यकारी अभियंता ने याचिकाकर्ता से कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने का आह्वान किया जो उसके द्वारा किए गए थे। 18.11.2014 पर उपरोक्त स्पष्टीकरण के बावजूद, कार्यकारी अभियंता ने याचिकाकर्ता को लिखा कि कीचड़ को संभालना अनुबंध में शामिल माना गया था। 21.11.2014 पर याचिकाकर्ता ने कार्यकारी अभियंता के कथित दावे को खारिज कर दिया। 3.12.2014 पर, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को एक नोटिस भेजा जिसमें कहा गया था कि कीचड़ और गाद का निपटान न करने से गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे पैदा होने की संभावना है जो पूरी तरह से प्रतिवादी की विफलता के कारण थे। 5.12.2014 पर, प्रतिवादी ने अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने के बजाय दंडात्मक तरीके अपनाए और याचिकाकर्ता को अनुबंध को काली सूची में डालने के अधीक्षक अभियंता-मध्यस्थ के निर्णय सहित गंभीर परिणामों की धमकी दी। तदनुसार, याचिकाकर्ता को 2014 का सी. डब्ल्यू. पी. No.26279 दाखिल करने के लिए विवश किया गया था, जिसमें प्रतिवादी को कीचड़ हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। 22.12.2014 पर, अदालत ने मध्यस्थता खंड को देखते हुए उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता ने 26.12.2014 पर मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और खंड 25-ए (iii) के संदर्भ में विवाद समाधान तंत्र के पहले कदम के रूप में मुख्य अभियंता द्वारा मुद्दे के निपटारे के लिए कार्यकारी अभियंता को लिखा। 14.1.2015 पर

याचिकाकर्ता के उपरोक्त पत्र के जवाब में, कार्यकारी अभियंता ने याचिकाकर्ता को मुद्दों के निपटारे के लिए अपने कार्यालय में 23.1.2015 पर बुलाया। 23.1.2015

पर एक बैठक आयोजित की गई और मुद्दों पर चर्चा की गई लेकिन कोई बड़ी सहमति नहीं बनी। तदनुसार, विवाद को मध्यस्थ के पास भेजने का निर्णय लिया गया। समझौते में नामित मध्यस्थ को कोई संचार जारी नहीं किया गया था, अर्थात् अधीक्षण अभियंता ने उन्हें मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया था। अभिलेख पर ऐसा कोई पत्र नहीं था जिसमें मध्यस्थ को या मध्यस्थ की नियुक्ति करने वाले याचिकाकर्ता को या उस मामले के लिए विवाद को उसे संदर्भित करने के लिए कोई संचार दिखाया गया हो। 24.3.2015 पर, याचिकाकर्ता ने प्रभारी मुख्य अभियंता को मध्यस्थ को बदलने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए लिखा और उनसे एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध किया और विवादों को अधीक्षण अभियंता को नियंत्रक या निपटान प्राधिकरण के रूप में संदर्भित नहीं करने का अनुरोध किया। अनुरोध पहले से नियुक्त मध्यस्थ को बदलने का नहीं था, बल्कि एक तटस्थ, स्वतंत्र, निष्पक्ष मध्यस्थ नियुक्त करने का था। 27.3.2015 पर, मध्यस्थ ने दिनांकित 23.1.2015 बैठक का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता से मध्यस्थता के लिए अपने दावे दायर करने का आह्वान किया। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तत्काल याचिका।

(3) प्रतिवादी की ओर से एक लिखित बयान दायर किया गया है जिसमें प्रारंभिक आपत्तियों में कहा गया है कि याचिका को खारिज किया जा सकता है क्योंकि वह निष्फल हो गई है क्योंकि मध्यस्थ पहले से ही वर्तमान याचिका दायर करने से बहुत पहले ही पक्षों के बीच अनुबंध के खंड 25-ए के संदर्भ में नियुक्त किया गया है। खंड 25-ए (वी) के अनुसार, नामित मध्यस्थ पहले ही 27.3.2015 पर संदर्भ दर्ज कर चुका है और इस प्रकार इस अदालत के पास वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। याचिकाकर्ता अपने निष्कासन के लिए अन्य उपायों का लाभ उठा सकता है और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए इस अदालत से संपर्क नहीं कर सकता है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विषय अनुबंध के तहत नामित एकमात्र मध्यस्थ तत्काल अनुबंध में विवाद के साथ सीधे शामिल होने के कारण निष्पक्ष या तटस्थ नहीं होगा, इस प्रकार अधिनियम के तहत अनिवार्य निष्पक्षता और स्वतंत्रता की कसौटी को पूरा करने में विफल रहेगा। विभिन्न पत्राचार का संदर्भ दिया गया था जो कार्यकारी अभियंता द्वारा मध्यस्थ को याचिका के अनुलग्नक के रूप में उसके दावे को साबित करने के लिए भेजा गया था। यहां तक कि पक्षपात या निष्पक्षता की एक उचित आशंका भी उसे मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त है। अधीक्षण अभियंता की

बहुत सक्रिय भागीदारी और संदर्भ में प्रवेश करने की तथाकथित तिथि से पहले 24.3.2015 का अनुरोध।

एम/एस थर्मैक्स लिमिटेड v. नगरपालिका निगम,

795

चंडीगढ़ (अजय कुमार मित्तल, जे.)

आई. डी. 1 पर, मुख्य रूप से नामित मध्यस्थ के स्थान पर एक तटस्थ, स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए था और इसे प्रदान किया जाना चाहिए। उनकी नियुक्ति से बहुत पहले मध्यस्थ की सक्रिय और अस्वस्थ भागीदारी ने उन्हें अधिनियम की खंड 11 (8) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया और इसलिए वह यह दावा नहीं कर सके कि उन्हें अधिनियम के तहत वैध रूप से नियुक्त किया गया था। अधिनियम की खंड 3 (1) और (2) के तहत याचिकाकर्ता को मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में लिखित में कोई सूचना या संचार नहीं दिया गया था। रिलायंस को उत्तरी में निर्णयों पर रखा गया था

रेल प्रशासन, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड 1 बाइप्रोमाज़ बाइप्रोन ट्रेडिंग एसए बनाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) 2 और डेनेल (प्रोपराइटरी) लिमिटेड बनाम रक्षा मंत्रालय, 3

(5) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि यह अपरिपक्व है क्योंकि मध्यस्थ को हटाने के लिए आपत्तियों के बारे में मुद्दा लंबित था। अधिनियम की धारा 11 (4) और 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र लागू की गई थी, जिसके तहत नए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई है। मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती लंबित थी और इसलिए, 8.4.2015 पर मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए वाद हेतुक नहीं था। जब मध्यस्थ ने नोटिस जारी किया तो वह 26.12.2014 और 23.1.2015 पर नियुक्त था, न कि 27.3.2015 पर। दोनों पक्षों को 23.1.2015 पर विशिष्ट जानकारी थी कि अधीक्षण अभियंता मध्यस्थ होगा और कोई आपत्ति नहीं ली गई थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की खंड 11 के तहत माननीय मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को अपने पक्ष में बिना किसी वाद हेतुक लागू किया है और अधिनियम की खंड 11 (6) में निर्धारित कोई भी घटना वर्तमान मामले में मौजूद नहीं है। रिलायंस को आयरन एंड स्टील कंपनी में निर्णय पर रखा गया था।

लिमिटेड बनाम तिवारी रोडलाइंस 4 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड 5 सरकारी परिवहन विभाग के सचिव, मद्रास

बनाम मुनुसामी मुदलियार और अन्य 6 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और दूसरा बनाम भूमिहिवे डीडीबी लिमिटेड और अन्य 7 और मेट्रो बिल्डर्स (उड़ीसा) पीवीएस। लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अरब।

1 (2008) 10 एससीसी 240

2 (2012) 6 एससीसी 384

3 (2012) 2 एससीसी 759

4 (2007) 5 एससीसी 703

5 (2009) 8 एससीसी 520

6 एआईआर 1988 एससी 2232

7 (2006) 10 एससीसी 763

796 आर्. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2017(2)

2010 का P.No.144 (डेल.)।(6) मैंने पक्षकारों की विद्वान अधिवक्ता सुनी है।

(7) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर, निम्नलिखित व्यापक मुद्दे विचार के लिए उत्पन्न होंगे:-

i) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति की अधिकार क्षेत्र का आह्वान वैध और कानूनी है ?

(ii) क्या नामित मध्यस्थ के रूप में अधीक्षण अभियंता पक्षकारों के बीच विवादों का निर्णय लेते समय तटस्थ और निष्पक्ष होगा, जो विवाद से संबंधित सभी पत्राचार में सीधे शामिल हैं?

(8) पहला मुद्दा उठाते हुए, समझौते के खंड 25 ए, संलग्नक पी. 1 का संदर्भ दिया जाता है, जो विवाद और मध्यस्थता से संबंधित है। इसके प्रासंगिक उपखंड इस प्रकार हैं:-

“ खंड 25-ए:विवाद और मध्यस्थता

(i) XXXXXXXXX

((ख))

चाहे उसके प्रारंभ से पहले हो या उसके दौरान

काम की प्रगति या अनुबंध की समाप्ति, परिपरित्याग या भंग के बाद, इसे पहली बार में काम के ई. आई. सी. को निपटान के लिए भेजा जाएगा और वह ठेकेदार द्वारा लिखित रूप में अनुरोध किए जाने के बाद साठ दिनों की अवधि के भीतर ठेकेदार को अपना निर्णय बताएगा। इस प्रकार निर्दिष्ट प्रत्येक मामले के संबंध में ऐसा निर्णय मध्यस्थता के अधीन होगा जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है, अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। यदि कार्य पहले से ही प्रगति पर है, तो ठेकेदार सभी उचित परिश्रम के साथ उपरोक्त प्रभारी अभियंता के निर्णय की प्राप्ति पर कार्य के निष्पादन के साथ आगे बढ़ेगा, चाहे किसी भी पक्ष को मध्यस्थता की आवश्यकता हो जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है या नहीं।

(iii) यदि प्रभारी अभियंता ने ठेकेदार को अपने निर्णय से अवगत करा दिया है और निर्णय को सूचित करने वाले पत्र की प्राप्ति के साठ दिनों की अवधि के भीतर ठेकेदार द्वारा मध्यस्थता के लिए कोई दावा दायर नहीं किया गया है, तो उक्त निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

एम/एस थर्मैक्स लिमिटेड बनाम नगरपालिका निगम,

797

चंडीगढ़ (अजय कुमार मित्तल, जे.)

(iv) यदि प्रभारी अभियंता उपरोक्त अनुरोध किए जाने के बाद साठ दिनों की अवधि के भीतर अपने निर्णय को व्यक्त करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार उस तारीख से अंतिम साठ दिनों की समाप्ति के बाद और साठ दिनों के भीतर विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज सकता है, जिस तारीख को ठेकेदार द्वारा उक्त अनुरोध किया गया था।

(v) वे सभी विवाद या मतभेद जिनके संबंध में निर्णय अंतिम और निर्णायक नहीं है, पंजीकृत ए. डी. पद द्वारा से भेजे गए संचार में किए गए किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, अधीक्षण अभियंता या नगर निगम चंडीगढ़ (सार्वजनिक स्वास्थ्य/भवन और सड़क) शाखा में संबंधित सर्कल के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जो संदर्भ के समय इस तरह से कार्य करता है, जब तक कि सरकार के आदेश द्वारा मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में मुख्य अभियंता किसी भी पक्ष से अनुरोध प्राप्त होने पर अधीक्षण अभियंता के पद से नीचे के किसी भी अन्य तकनीकी अधिकारी को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा।

(vi) कार्यों के प्रभारी मुख्य अभियंता को मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले या ऐसी कार्यवाही के दौरान कारण बताते हुए मध्यस्थ को बदलने का अनुरोध करने वाले ठेकेदार या प्रभारी अभियंता के आवेदन पर मध्यस्थ को बदलने का अधिकार होगा। जैसे ही मुख्य अभियंता के समक्ष मध्यस्थ के परिवर्तन के लिए आवेदन दायर किया जाता है और आवेदक द्वारा मध्यस्थ को इसका नोटिस दिया जाता है, वैसे ही मध्यस्थता की कार्यवाही निलंबित हो जाएगी। मुख्य अभियंता दोनों पक्षों को सुनने के बाद आवेदन को अस्वीकार करने या मध्यस्थ को एक साथ बदलने के लिए स्वीकार करने के लिए एक बोलने का आदेश पारित कर सकता है, अनुबंध के तहत मध्यस्थ के रूप में एक अधीक्षक अभियंता के पद से नीचे के तकनीकी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त नया मध्यस्थ नए सिरे से निर्देश में प्रवेश कर सकता है या वह सुनवाई को उस बिंदु से जारी रख सकता है जिसे पिछले मध्यस्थ के समक्ष निलंबित कर दिया गया था।

(vii) से (xiv) |XXXXXXXXXXXXX

xv) यह माना जाएगा कि मध्यस्थ ने उस दिन संदर्भ दर्ज किया था, जिस दिन वह सुनवाई की तारीख तय करने वाले पक्षों को नोटिस जारी करता है। मध्यस्थ, समय-समय पर, पक्षों की सहमति से प्रारंभिक समय को बढ़ा सकता है।

पुरस्कार बनाने और प्रकाशित करने के लिए।

(9) समझौते के खंड 25 ए के उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि यह पक्षों के बीच किसी भी विवाद के मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक विस्तृत तंत्र प्रदान करता है। उपखंड (ii) में कहा गया है कि पहली बार में चाहे वह काम शुरू होने से पहले हो या काम की प्रगति के दौरान या अनुबंध की समाप्ति के बाद या अनुबंध के भंग से संबंधित हो, प्रत्येक विवाद को निपटान के लिए काम के ई. आई. सी. (मुख्य अभियंता) को भेजा जाएगा। उपखंड (ii) में आगे कहा गया है कि ई. आई. सी. ठेकेदार द्वारा लिखित रूप में अनुरोध करने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर अपने निर्णय से अवगत कराएगा। ई. आई. सी. का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के अधीन ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। निर्णय की प्राप्ति के बाद, ठेकेदार काम के निष्पादन के साथ आगे बढ़ेगा चाहे कोई भी पक्ष मध्यस्थता का चयन करे या नहीं। उपखंड (iii) में प्रावधान है कि यदि निर्णय की तारीख से 60 दिनों के भीतर मध्यस्थता के लिए कोई दावा

दायर नहीं किया जाता है, तो ऐसा निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा और मध्यस्थता का विषय नहीं होगा। उपखंड (iv) के तहत, यदि ई. आई. सी. 60 दिनों के भीतर अपना निर्णय देने में विफल रहता है, तो ठेकेदार अगले 60 दिनों के भीतर विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज सकता है। उपखंड (v) में कहा गया है कि पंजीकृत एडी डाक द्वारा से भेजे गए संचार में किए गए किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, सभी विवाद जिनके संबंध में निर्णय अंतिम और निर्णायक नहीं है, उन्हें नगर निगम चंडीगढ़ में संबंधित सर्कल के अधीक्षण अभियंता के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। यदि नगर निगम, चंडीगढ़ में संबंधित सर्कल के अधीक्षण अभियंता को सरकार के एक आदेश द्वारा मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो मुख्य अभियंता किसी अन्य तकनीकी अधिकारी को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा जो अधीक्षण अभियंता के पद से कम नहीं है। उपखंड (vi) किसी भी पक्ष के अनुरोध पर मध्यस्थ के परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें कार्यवाही शुरू होने से पहले या ऐसी कार्यवाही के दौरान इस तरह के परिवर्तन की मांग करने के लिए कारण दिए गए हैं। मुख्य अभियंता दोनों पक्षों को सुनने के बाद और मध्यस्थ को बदलने के लिए आवेदन को अस्वीकार करने या आवेदन को स्वीकार करने के लिए एक बोलने का आदेश पारित करके मध्यस्थ को बदलने के लिए अधिकृत है। जैसे ही मुख्य अभियंता के समक्ष मध्यस्थ के परिवर्तन के लिए आवेदन दायर किया जाता है और आवेदक द्वारा मध्यस्थ को इसकी सूचना दी जाती है, तो मध्यस्थता की कार्यवाही निलंबित हो जाएगी। उपखंड (xv) के अनुसार, मध्यस्थ को उस दिन संदर्भ दर्ज किया गया माना जाएगा जिस दिन वह सुनवाई की तारीख तय करने वाले पक्षों को नोटिस जारी करता है। द्वारा समय-समय पर पुरस्कार बनाने और प्रकाशित करने की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

एम/एस थर्मैक्स लिमिटेड v. नगरपालिका निगम,

799

चंडीगढ़ (अजय कुमार मित्तल, जे.)

पक्षकारों की सहमति से मध्यस्थ। (10) प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 3, 11 और 21 का उल्लेख करना समीचीन होगा जो इस प्रकार है:-

“3. लिखित संचार की प्राप्ति (1) जब तक कि

अन्यथा पक्षों द्वारा सहमत -

(क) किसी भी लिखित संचार को प्राप्त माना जाता है यदि यह प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या उसके व्यवसाय के स्थान, आदतन निवास या डाक पते पर दिया जाता है, और

(ख) यदि खंड (क) में निर्दिष्ट स्थानों में से कोई भी उचित जांच करने के बाद नहीं पाया जा सकता है, तो एक लिखित संचार प्राप्त माना जाता है यदि इसे प्राप्तकर्ता के व्यवसाय के अंतिम ज्ञात स्थान, आदतन निवास या डाक पते पर पंजीकृत पत्र द्वारा या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाता है जो इसे देने के प्रयास का रिकॉर्ड प्रदान करता है।

(2) यह माना जाता है कि जिस दिन इसे वितरित किया गया था, उस दिन संचार प्राप्त हुआ था।

(3) यह खंड किसी भी न्यायिक प्राधिकरण की कार्यवाही के संबंध में लिखित संचार पर लागू नहीं होती है।

11. मध्यस्थों की नियुक्ति।—

(1) किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति मध्यस्थ हो सकता है, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए।

(2) उप-धारा (6) के अधीन, पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं। (3) तीन मध्यस्थों के साथ मध्यस्थता में, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल रहने पर, प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और दो नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे।

(4) यदि उप धारा (3) में नियुक्ति प्रक्रिया लागू होती है और -

(क) एक पक्ष दूसरे पक्ष से ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर एक मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है; या (ख) दो नियुक्त मध्यस्थ तीसरे पर सहमत होने में विफल रहते हैं।

मध्यस्थ की नियुक्ति उनकी नियुक्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, किसी पक्ष के अनुरोध पर, मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा की जाएगी।

(5) एकल मध्यस्थ के साथ मध्यस्थता में, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल रहने पर, यदि पक्षकार दूसरे पक्षकार से एक पक्षकार द्वारा अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो किसी पक्षकार के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा नियुक्ति की जाएगी। (6) जहां, पार्टियों द्वारा सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत, -

(क) एक पक्ष उस प्रक्रिया के तहत आवश्यकतानुसार कार्य करने में विफल रहता है; या (ख) पक्ष, या दो नियुक्त मध्यस्थ, उस प्रक्रिया के तहत उनसे अपेक्षित समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं; या

(ग) एक व्यक्ति, एक संस्था सहित, उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को करने में विफल रहता है, एक पक्ष मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति या संस्थान से आवश्यक उपाय करने का अनुरोध कर सकता है, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया पर समझौता नियुक्ति को सुरक्षित करने के लिए अन्य साधन प्रदान नहीं करता है।

(7) उप-खंड (4) या उप-खंड (5) या उप-खंड (6) द्वारा मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था को सौंपे गए मामले पर निर्णय अंतिम होता है।

(8) मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था, एक मध्यस्थ की नियुक्ति में, निम्नलिखित का उचित सम्मान करेगी -

(क) पक्षकारों के समझौते द्वारा मध्यस्थ के लिए आवश्यक कोई भी योग्यता; और

(बी) अन्य विचार जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति को सुरक्षित करने की संभावना रखते हैं।

(9) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में एकमात्र या तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्थान उन पक्षों की राष्ट्रीयताओं के अलावा किसी अन्य राष्ट्रीयता के मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकता है जहां पक्ष से संबंधित है।

(10) मुख्य न्यायाधीश ऐसी योजना बना सकता है जो उसे उप-खंड (4) या उप-खंड (5) या उप-खंड (6) द्वारा सौंपे गए मामलों से निपटने के लिए उचित लगे।

(11) जहाँ उप-खंड (4) या उप-खंड (5) या उप-खंड (6) के तहत विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों या उनके नामितों से एक से अधिक अनुरोध किए गए हैं, वहाँ मुख्य न्यायाधीश या उसका नामित व्यक्ति जिसे प्रासंगिक उप-खंड के तहत पहले अनुरोध किया गया है, अकेले अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

(12)(क) जहां उप-धारा (4), (5), (6), (7), (8) और (10) में निर्दिष्ट मामले एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में उत्पन्न होते हैं, उन उप-धाराओं में "मुख्य न्यायाधीश" के संदर्भ का अर्थ "भारत के मुख्य न्यायाधीश" के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।

(ख) जहां उप-खंड (4), (5), (6), (8) और (10) में निर्दिष्ट मामले किसी अन्य मध्यस्थता में उत्पन्न होते हैं, उन उप-खंडों में "मुख्य न्यायाधीश" के संदर्भ का अर्थ उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ के रूप में किया जाएगा, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर खंड 2 की उप-खंड (1) के खंड (ई) में निर्दिष्ट प्रमुख दीवानी न्यायालय स्थित है और जहां उच्च न्यायालय स्वयं उस खंड में निर्दिष्ट न्यायालय है, वहां उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।”

21. मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत-जब तक कि

पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमत, किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन प्रतिवादी द्वारा उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है।”

(11) अधिनियम की खंड 3 में प्रावधान है कि कोई भी लिखित संचार प्राप्त माना जाता है यदि इसे प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या उसके व्यवसाय के स्थान, आदतन निवास या डाक पते पर दिया जाता है, और यदि ऊपर उल्लिखित स्थानों में से कोई भी उचित जांच करने के बाद नहीं पाया जा सकता है, तो एक लिखित संचार प्राप्त माना जाता है यदि इसे प्राप्तकर्ता के व्यवसाय के अंतिम ज्ञात स्थान, आदतन निवास या डाक पते पर पंजीकृत पत्र द्वारा या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाता है। अधिनियम की खंड 3 (2) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि इसे केवल उसी दिन प्राप्त माना जाएगा जिस दिन इसे वितरित किया

जाएगा। अधिनियम की खंड 11 की उप-खंड (2) में प्रावधान है कि इसकी उप-खंड (6) के अधीन, पक्ष के लिए एक प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

मध्यस्थ की नियुक्ति। अधिनियम की खंड 11 (6) को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि जहां एक अनुबंध में पक्षों द्वारा एक नियुक्ति प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त की गई है, तो एक पक्ष मुख्य न्यायाधीश से केवल तीन निर्धारित स्थितियों में मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अनुरोध कर सकता है। क) एक पक्ष सहमत प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहा है; बी) पक्ष या दो नियुक्त मध्यस्थ मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं; और सी) एक संस्था सहित एक व्यक्ति उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को करने में विफल रहता है। हालांकि, अधिनियम की खंड 21 में कहा गया है कि जब तक इसके विपरीत न हो, किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थ को विवाद के संदर्भ के लिए अनुरोध प्राप्त किया जाता है। (12) इसमें तथ्यात्मक मैट्रिक्स की जांच करते हुए, प्रतिवादी ने एमबीबीआर प्रौद्योगिकी पर नई इकाइयां स्थापित करके आने वाले सीवेज के उपचार के लिए चंडीगढ़ के पास 15 एमजीडी के मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्र को 30 एमजीडी में उन्नत करने के लिए एक निविदा जारी की। 28.02.2007 पर, याचिकाकर्ता कंपनी को अनुबंध दिया गया था और पक्षों के बीच समझौते को निष्पादित किया गया था। खंड 25-ए में विवाद के मामले में मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है। इसने आगे प्रावधान किया कि सभी विवादों को संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। प्रभारी मुख्य अभियंता को किसी भी पक्ष के आवेदन पर मध्यस्थ को बदलने का अधिकार दिया गया था। अनुबंध के अनुसार, याचिकाकर्ता को उपचार संयंत्र के संचालन और रखरखाव का काम सौंपा गया था जो सीधे उत्पादित कीचड़ से जुड़ा हुआ था। 18.09.2014 पर, याचिकाकर्ता ने कार्यकारी अभियंता से कीचड़ के निपटान के लिए ट्रैक्टर/ट्रॉली और श्रमशक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया। कार्यकारी अभियंता ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि कीचड़ को हटाना और रसायनों के साथ इसका उपचार याचिकाकर्ता के काम के दायरे में था। उस आधार पर, पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में 2014 की सिविल रिट याचिका No.26279 दायर की। उक्त रिट याचिका का निपटान

समझौते में मध्यस्थता खंड को देखते हुए 22.12.2014 पर किया गया था।

26.12.2014 पर, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता खंड का आह्वान करते हुए कार्यकारी अभियंता को खंड 25-ए (ii) के संदर्भ में विवाद समाधान तंत्र के पहले कदम के रूप में मुद्दों के निपटारे के लिए लिखा। 14.01.2015 पर, याचिकाकर्ता को कार्यकारी अभियंता द्वारा मुद्दों के निपटारे के लिए 23.01.2015 पर अपने कार्यालय में बुलाया गया था, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया था। तदनुसार, विवाद को मध्यस्थ के पास भेजने का निर्णय लिया गया। समझौते में नामित मध्यस्थ को कोई संचार या पत्र जारी नहीं किया गया था, अर्थात् अधीक्षण अभियंता ने उन्हें संदर्भ दर्ज करने के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया था।

एम/एस थर्मैक्स लिमिटेड बनाम नगरपालिका निगम,

803

चंडीगढ़ (अजय कुमार मित्तल, जे.)

24.03.2015, याचिकाकर्ता ने नामित मध्यस्थ के स्थान पर एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए मुख्य अभियंता-प्रभारी से संपर्क किया, अर्थात्, अधीक्षण अभियंता नियंत्रण या व्यवहार प्राधिकरण है।

(13) खंड 25-ए के उपखंड (वी) के अनुसार, जिन विवादों या मतभेदों के संबंध में किसी भी पक्ष के अनुरोध पर कोई निर्णय अंतिम नहीं था, उन्हें पंजीकृत एडी डाक द्वारा से भेजे गए संचार में किए गए संबंधित सर्कल के मध्यस्थता के लिए भेजा जाना था। पंजीकृत ए. डी. द्वारा से भेजे गए संचार द्वारा से मध्यस्थता के लिए विवादों को संदर्भित करने के लिए उक्त खंड की आवश्यकताओं का पालन करते हुए प्रतिवादी निगम द्वारा कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था। अधीक्षण अभियंता ने केवल 26.12.2014 दिनांकित पत्र, 23.01.2015 पर आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का उल्लेख किया और याचिकाकर्ता से अपना दावा दायर करने का आह्वान किया। 23.01.2015 पर आयोजित कार्यवाही के कार्यवृत्त अधिनियम/समझौते के तहत परिकल्पित मध्यस्थ की नियुक्ति की कानूनी आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे। 23.1.2015 के कार्यवृत्त में केवल यह निर्धारित किया गया है कि निविदा समझौते के खंड No.25A के तहत विवाद को एकमात्र मध्यस्थ को भेजने का निर्णय लिया गया था।

(14) अधिनियम की खंड 21 के संदर्भ में 26.12.2014 या 23.01.2015 पर मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत को याचिकाकर्ता के दिनांकित 26.12.2014 के पत्र के अनुसरण में नहीं कहा जा सकता है, कार्यकारी अभियंता ने याचिकाकर्ता को विवाद को हल करने के लिए चर्चा के लिए 23.1.2015 पर अपने कार्यालय में

बुलाया था और दिनांकित 23.01.2015 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, विवाद अनसुलझा रहने पर, समझौते के खंड 25 ए के तहत विवाद को मध्यस्थ को भेजने पर सहमति व्यक्त की गई थी। इसके बाद, मध्यस्थ को उसके संदर्भ में तब तक कोई संदर्भ नहीं दिया गया जब तक कि याचिकाकर्ता ने नामित मध्यस्थ को बदलकर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए नहीं कहा था। प्रतिवादी निगम द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया एकमात्र दस्तावेज फाइल नोटिंग दिनांक 06.02.2015 था जिसमें कहा गया था कि सभी दस्तावेज और अनुबंध दस्तावेज लंबित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सर्कल अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएं। इससे पता चलता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति अभी बाकी थी। इसके अलावा, 06.02.2015 दिनांकित उक्त दस्तावेज का उल्लेख अधीक्षक अभियंता द्वारा अपने दिनांकित 27.03.2015 पत्र में भी नहीं किया गया था। द एपेक्स

Bipromasz Bipron Trading SA के मामले (ऊपर) में अदालत ने कहा कि मध्यस्थ की नियुक्ति पत्र की उचित सेवा की अनुपस्थिति में, नियुक्ति कानून की नजर में मान्य नहीं है और न्यायालय हमेशा अधिनियम की खंड 11 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, की ओर से विफलता थी

प्रतिवादी निगम मध्यस्थता समझौते का पालन करेगा। जैसा कि पहले देखा गया था, याचिकाकर्ता ने नामित मध्यस्थ को बदलकर एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आई. डी. 1 पर एक संचार को संबोधित किया था और इसके बाद आई. डी. 2 पर, अधीक्षण अभियंता, अर्थात् नामित मध्यस्थ ने आगे बढ़ने की मांग की थी जो याचिकाकर्ता के लिए अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए पर्याप्त था, जिसमें दिनांकित आई. डी. 1 में निहित अपने अनुरोध को निहित रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि उपरोक्त आशंका को दिनांकित 13.5.2015 (अनुलग्नक आर. 3) के आदेश में अनुवादित किया गया था जब औपचारिक रूप से अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, 8.4.2015 पर दायर याचिका को इस न्यायालय के समक्ष समय से पहले या बनाए रखने योग्य नहीं माना जा सकता है।

(15) डेनेल (प्रोपराइटरी) लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में दूसरे मुद्दे पर, शीर्ष अदालत ने राय दी कि सामान्य परिस्थितियों में अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अदालत समझौते की शर्तों का यथासंभव बारीकी से पालन करेगी। लेकिन यदि परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, तो मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के नामित व्यक्ति को नामित मध्यस्थ के अलावा एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। न्यायालय को अधिनियम की खंड 11 (8) में निहित प्रावधानों का भी उचित सम्मान करना आवश्यक है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यह सुनिश्चित करने के अलावा कि मध्यस्थ के पास पक्षों के समझौते द्वारा मध्यस्थ के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं, न्यायालय को अन्य विचारों को भी ध्यान में रखना होगा जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित करने की संभावना रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

“21. यह सच है कि सामान्य परिस्थितियों में खंड 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, न्यायालय समझौते की शर्तों का यथासंभव बारीकी से पालन करेगा। लेकिन अगर परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, तो मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के नामित व्यक्ति को नामित मध्यस्थ के अलावा एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

22. के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

उत्तर रेलवे प्रशासन, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड,

अधिनियम की खंड 11 (6) के दायरे और दायरे पर विचार किया गया, क्योंकि दो निर्णयों में अलग-अलग विचार लिए गए थे

एस पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन में यह न्यायालय लिमिटेड और भारत संघ बनाम मेसर्स थर्मैक्स लिमिटेड बनाम

मेसर्स थर्मैक्स लिमिटेड v. नगरपालिका निगम,

805

चंडीगढ़ (अजय कुमार मित्तल, जे.)

भारत बैटरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी (पी) लिमिटेड (ऊपर)। उस पर

प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने के साथ-साथ इसे इस प्रकार देखा गया:-

"खंड 11 की योजना को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि समझौते की शर्तों का पालन करने और/या यथासंभव निकटता से प्रभाव डालने पर जोर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय वह करने के लिए कह सकता है जो नहीं किया गया है। न्यायालय को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन उपायों के लिए प्रावधान किया गया है वे समाप्त हो गए हैं। जैसा कि श्री देसाई ने तर्क दिया है, यह सच है कि मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्थान के लिए नामित मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन साथ ही, समझौते द्वारा आवश्यक योग्यताओं और अन्य विचारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

23. ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, मैंने इस मामले में बताया गए तथ्यों की जांच की है। मेरा विचार है कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करना आवश्यक और उचित होगा। इस मामले में अनुबंध रक्षा मंत्रालय के पास है। मध्यस्थ श्री सत्यनारायण को डी. जी. ओ. एफ. द्वारा नामित किया गया है, जो भारत संघ द्वारा जारी निर्देशों को प्रतिग्रहण करना करने के लिए बाध्य हैं। श्री सत्यनारायण उसी संगठन के कर्मचारी हैं। कार्यवाही के प्रति प्रतिवादी का रवैया निष्पक्ष दृष्टिकोण का संकेत नहीं है। वास्तव में, पूर्ववर्ती मध्यस्थ के अधिदेश को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर समाप्त कर दिया गया था, जो इंगित करता था कि मध्यस्थ भारत संघ के पक्ष में पक्षपाती था। वर्तमान मामले में भी, श्री नाफडे ने मध्यस्थ द्वारा जारी किए गए विभिन्न नोटिसों का संदर्भ दिया है, जिनमें से कोई भी याचिकाकर्ता को समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए, याचिकाकर्ता को एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष अपना मामला पेश करने के अवसर से प्रभावी रूप से वंचित कर दिया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता की आशंकाओं को बिना किसी आधार के नहीं कहा जा सकता है।

24. यह भी याद रखना चाहिए कि खंड 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय भी न्यायालय को अधिनियम की खंड 11 (8) में निहित प्रावधानों का उचित सम्मान करना आवश्यक है। उपरोक्त खंड में यह प्रावधान है कि यह सुनिश्चित करने के अलावा कि मध्यस्थ के पास के समझौते द्वारा मध्यस्थ के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं।

पक्षकारों, न्यायालय को अन्य विचारों का उचित ध्यान रखना होगा जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित करने की संभावना रखते हैं। उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि आम तौर पर न्यायालय सहमत प्रक्रिया के संदर्भ में नियुक्ति करेगा, यह मत व्यक्त किया है कि मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति इसके कारण दर्ज करने के बाद इससे विचलित हो सकता है। उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 45 में, यह निम्नानुसार देखा गया है:-

"45. यदि मध्यस्थता समझौता एक नामित मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान करता है, तो अदालतों को आम तौर पर मध्यस्थता समझौते के प्रावधानों को प्रभावी बनाना चाहिए। लेकिन जैसा कि उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है। 10, जहां इस बात की उचित आशंका पैदा करने के लिए सामग्री है कि मध्यस्थ के रूप में मध्यस्थता समझौते में उल्लिखित व्यक्ति के स्वतंत्र रूप से या निष्पक्ष रूप से कार्य करने की संभावना नहीं है, या यदि नामित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश या उसका नामित व्यक्ति, विवाद को नामित मध्यस्थ को भेजने की सहमत प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारणों को दर्ज करने के बाद, अधिनियम की खंड 11 (8) के अनुसार एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, विवादों को नामित मध्यस्थ को संदर्भित करना नियम होगा। मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश को केवल पक्षकारों को नामित मध्यस्थ या नामित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास भेजकर मध्यस्थता समझौते को दोहराना होगा। नामित मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण को नजरअंदाज करना और एक स्वतंत्र मध्यस्थ को नामित करना नियम का अपवाद होगा, जिसका वैध कारणों से सहारा लिया जाना चाहिए। (जोर दिया गया)

(16) बाइप्रोमाज़ बाइप्रोन ट्रेडिंग एसए, के मामले (ऊपर) में, यह आयोजित किया गया था

उच्चतम न्यायालय द्वारा कि मुख्य न्यायाधीश या नामित व्यक्ति को नामित मध्यस्थ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति है, जहां तथ्य इंगित करते हैं कि नामित मध्यस्थ के निष्पक्ष होने की संभावना नहीं है। इस विषय पर मामले के कानून पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया:-

“40. उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, याचिका को केवल इस आधार पर अस्वीकार करना संभव नहीं होगा कि इस न्यायालय के पास अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक या उनके नामित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य मध्यस्थ की नियुक्ति करने की कोई शक्ति नहीं होगी। इस न्यायालय के पास मेसर्स थर्मेक्स लिमिटेड पर नामित मध्यस्थ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

मेसर्स थर्मेक्स लिमिटेड v. नगरपालिका निगम,

807

चंडीगढ़ (अजय कुमार मित्तल, जे.)

प्रासंगिक तथ्यों की जांच, जो इंगित करती है कि नामित मध्यस्थ के निष्पक्ष होने की संभावना नहीं है। इस मामले में, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया था कि नामित मध्यस्थ सी. एम. डी. का प्रत्यक्ष अधीनस्थ और प्रतिवादी का कर्मचारी है। सी. एम. डी. उन सभी कर्मचारियों का नियंत्रण प्राधिकरण है, जो वर्तमान विवाद में विषय वस्तु से निपट रहे हैं और नामित मध्यस्थ के नियंत्रण प्राधिकरण भी हैं। यह आशंका जताते हुए कि सीएमडी, जो पूरे अनुबंध से निपट रहे थे, एक मध्यस्थ के रूप में निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करेंगे, याचिकाकर्ता ने 20 मई, 2011 को एक नोटिस जारी किया था। इस सूचना में, यह बताया गया था कि जब अनुबंध के निष्पादन की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, सीएमडी ने 5 जून, 2009 को याचिकाकर्ता को एक पत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि कंपनी के निर्देशों के अनुसार, उस तारीख तक सभी लंबित आपूर्ति को "रोक दिया गया था"। उपरोक्त संचार के बाद, 3 दिसंबर, 2009 के खरीद आदेश के अनुसार माल की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता को कोई संचार जारी नहीं किया गया था। बाद में भी, कठिनाइयाँ थीं जब 24 इकाइयों की एक और खेप की आपूर्ति की गई। याचिकाकर्ता द्वारा की गई विस्तृत दलीलों को फैसले के पहले भाग में देखा गया है।

41. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता के लिए इस याचिका पर विचार करना अनुचित नहीं होगा कि प्रतिवादी द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निष्पक्ष नहीं होगा। सी. एम. डी. स्वयं रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के प्रति स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से उत्तरदायी होकर कार्य करने में समर्थ नहीं होगा। समान परिस्थितियों में, इस न्यायालय के मामले में

डेनेल (प्रोपराइटरी) लिमिटेड बनाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स

लिमिटेड एंड अनर. (ऊपर), इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:- “21. हालांकि, वर्तमान मामले में विशिष्ट शर्तों पर विचार करते हुए, जिसके तहत मध्यस्थ को मध्यस्थता खंड के तहत नियुक्त करने की मांग की गई थी, वह कंपनी का प्रबंध निदेशक है जिसके खिलाफ विवाद उठाया गया है (प्रतिवादी)। इसके अलावा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो एक "सरकारी कंपनी" है, के उक्त प्रबंध निदेशक भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश/निर्देश से बाध्य हैं। यह द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में भी प्रतिवादी का मामला है।

808

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

प्रतिवादी, हालांकि वह खरीद आदेशों के तहत देय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन वह केवल रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के कारण बकाया का निपटान करने की स्थिति में नहीं है। यह केवल यह दर्शाता है कि प्रबंध निदेशक पक्षों के बीच विवाद को स्वतंत्र रूप से तय करने की स्थिति में नहीं हो सकता है।”

42. मेरी राय में, वर्तमान मामले में तथ्य समान हैं और इसलिए, इसी तरह का मार्ग अपनाने की आवश्यकता है।”

(17) उत्तर रेलवे प्रशासन के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, मध्यस्थता समझौते में नामित मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति आवश्यक नहीं है, लेकिन नियुक्ति करते समय, खंड 11 की उप खंड (8) की दोहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए और ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो नियुक्ति असुरक्षित हो जाती है। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

“10. उप-धारा (6) में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति यह है कि "एक पक्ष मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति या संस्थान से आवश्यक उपाय करने का अनुरोध कर सकता है" (जोर देने के लिए रेखांकित)। इस अभिव्यक्ति को उप-धारा (8) की आवश्यकता के साथ पढ़ना होगा कि मुख्य न्यायाधीश या मध्यस्थ की नियुक्ति में उनके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था को योग्यताओं और अन्य विचारों से संबंधित दो संचयी शर्तों का "उचित सम्मान" करना होगा जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति को सुरक्षित करने की संभावना रखते हैं।

11. खंड 11 की योजना को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि समझौते की शर्तों का पालन करने और/या यथासंभव निकटता से प्रभाव डालने पर जोर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय वह करने के लिए कह सकता है जो नहीं किया गया है। न्यायालय को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदान किए गए उपाय समाप्त हो गए हैं। जैसा कि श्री देसाई ने तर्क दिया है, यह सच है कि मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्थान के लिए नामित मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन साथ ही, समझौते द्वारा आवश्यक योग्यताओं और अन्य विचारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

12. अभिव्यक्ति Rs.due सम्मान 'का अर्थ है कि कई परिस्थितियों पर उचित ध्यान केंद्रित किया गया है। एक सामान्य नियम के रूप में अभिव्यक्ति Rs.necessary 'एम/एस थर्मैक्स लिमिटेड हो सकती है।

एम/एस थर्मैक्स लिमिटेड v. नगरपालिका निगम,

809

चंडीगढ़ (अजय कुमार मित्तल, जे.)

मोटे तौर पर उन चीजों को कहा जाता है जिन्हें करने की यथोचित आवश्यकता होती है या कानूनी रूप से इच्छित अधिनियम की प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं। आवश्यक उपायों को उचित कदम बताया जा सकता है। 13. ऐसा प्रतीत होता है कि इन सभी मामलों में उच्च न्यायालय ने समझौते द्वारा आवश्यक योग्यताओं या एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक अन्य विचारों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि मध्यस्थता समझौते में नामित मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति आवश्यक नहीं है, लेकिन नियुक्ति करते समय खंड 11 की उप-खंड (8) की दोहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए और ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो नियुक्ति असुरक्षित हो जाती है। इन परिस्थितियों में, हम प्रत्येक मामले में की गई नियुक्ति को अलग करते हैं, ऊपर बताए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए नई नियुक्तियां करने के लिए मामलों को उच्च न्यायालय को भेजते हैं।”

(18) अधिनियम में शामिल संशोधन के माध्यम से व्यक्त विधायी आदेश द्वारा इसे मान्यता दी गई है। संसद ने निष्पक्ष और निष्पक्ष मध्यस्थ की आवश्यकता पर न्यायालयों द्वारा लिए गए सुसंगत दृष्टिकोण को प्रभावी बनाने के लिए

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में, "संशोधित अधिनियम") द्वारा अधिनियम में संशोधन किया था जो 23.10.2015 से प्रभावी था। अधिनियम की संशोधित खंड 11 (8) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय या जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था, मध्यस्थ की नियुक्ति से पहले खंड 12 की खंड (1) के संदर्भ में मध्यस्थ के दृष्टिकोण से लिखित रूप में प्रकटीकरण की मांग करेगा और प्रकटीकरण की सामग्री और अन्य विचारों को ध्यान में रखेगा जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति को सुरक्षित करने की संभावना रखते हैं। इसके अलावा, पक्षकारों द्वारा अपने स्वयं के आदेशमचारियों को मध्यस्थ के रूप में चुनने से बचने के लिए, अधिनियम ने इस तरह की नियुक्ति पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी है और इसे अयोग्यता बना दिया है। संशोधित अधिनियम की खंड 12 (5) में प्रावधान है कि भले ही इसके विपरीत कोई पूर्व समझौता मौजूद हो, जहां किसी व्यक्ति का पक्षकार या वकील के साथ संबंध या विवाद का विषय सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। अपवाद बनाया गया है जहां पक्ष के बीच उत्पन्न हुए विवाद के बाद लिखित में एक स्पष्ट समझौते द्वारा इस उप-खंड की प्रयोज्यता को माफ कर सकते हैं।

उन्हें। दूसरे शब्दों में, संशोधित अधिनियम की खंड 12 (5) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सातवीं अनुसूची के तहत आने वाले व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। यह विशेष रूप से विवादित पक्षों में से किसी एक के कर्मचारियों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने पर रोक लगाता है, इसके बावजूद कि संविदात्मक खंड इसकी अनुमति देता है। सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि 1 जो प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:-

“सातवीं अनुसूची” [खंड 12 (5) देखें]

ए. पी. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए.
 आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर.
 टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए.
 आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर.

टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी. ए. आर. टी.

1. मध्यस्थ एक कर्मचारी, सलाहकार, सलाहकार होता है या किसी पक्ष के साथ उसका कोई अन्य पूर्व या वर्तमान व्यावसायिक संबंध होता है।

2 19 तक |XXXXXXXXXX

स्पष्टीकरण 1 से 3 तक "

(19) वर्तमान मामले में नामित मध्यस्थ यानी अधीक्षण अभियंता को निष्पक्ष नहीं ठहराया जा सकता है और वह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। संलग्नक पी. 3, पी. 5, पी. 7 और संलग्नक पी. 10 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कार्यकारी अभियंता, एम. सी. पी. एच., प्रभाग संख्या 4, चंडीगढ़ से याचिकाकर्ता को किए गए सभी पत्राचार का समर्थन अधीक्षण अभियंता, एम. सी. पी. एच., सर्कल, चंडीगढ़ यानी नामित मध्यस्थ को भी किया गया था। अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ स्वतंत्र और निष्पक्ष है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता की यह आशंका कि नामित मध्यस्थ, यानी अधीक्षण अभियंता निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेगा, निराधार नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से संकेत मिलेगा कि इस विश्वास को स्वीकार करना उचित होगा कि समझौते में नामित मध्यस्थ स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करेगा। ऐसा होने पर, इस न्यायालय को अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षों के बीच आई. एस. के निर्णय के लिए एक मध्यस्थ को नामित करने का अधिकार है।

(20) पूरी निष्पक्षता से, मैं प्रतिवादी निगम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णयों की जांच करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि यदि पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया पर सहमत हो गए हैं, जैसा कि इसकी उप खंड (2) द्वारा विचार किया गया है, तो पक्षों के बीच विवाद का निर्णय उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए और मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति का सहारा नहीं लिया जा सकता है।

चंडीगढ़ (अजय कुमार मित्तल, जे.)

तुरंत ले जाएँ। कानून के प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हालाँकि, यह देखा जा सकता है कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी निगम समझौते के तहत परिकल्पित नियुक्ति प्रक्रिया के तहत कार्य करने में विफल रहा था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की। याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता खंड के खंड 25 ए (ii) के तहत प्रदान किए गए पक्षों के बीच विवाद को हल करने के पहले कदम के रूप में मुख्य अभियंता द्वारा मुद्दों के निपटारे के लिए कार्यकारी अभियंता से अनुरोध करते हुए समझौते के तहत मध्यस्थता खंड का आह्वान किया। इसके जवाब में, कार्यकारी अभियंता ने याचिकाकर्ता को अपने कार्यालय में 23.1.2015 पर मुद्दों के समाधान के लिए बुलाया। चूंकि पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी, इसलिए विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने का निर्णय लिया गया। हालाँकि, समझौते में नामित मध्यस्थ की नियुक्ति करने वाले याचिकाकर्ता को कभी कोई औपचारिक संचार नहीं भेजा गया था। भले ही यह लिया गया था कि नामित मध्यस्थ 23.1.2015 पर नियुक्त किया गया था, फिर भी, क्योंकि याचिकाकर्ता को डर था कि समझौते में मध्यस्थ के रूप में नामित अधीक्षण अभियंता पक्षों के बीच विवाद का निर्णय लेने में तटस्थ या निष्पक्ष नहीं होगा, याचिकाकर्ता ने प्रभारी मुख्य अभियंता से मध्यस्थ को बदलने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अनुरोध किया।

(21) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले में, यह

अधिकार क्षेत्रसअधिकार क्षेत्ररअधिकार क्षेत्रअधिकार क्षेत्रवअधिकार क्षेत्रोअधिकार क्षेत्रचअधिकार क्षेत्रअधिकार क्षेत्रचअधिकार क्षेत्र अधिकार क्षेत्रनअधिकार क्षेत्रअधिकार क्षेत्रयअधिकार क्षेत्राअधिकार क्षेत्रयअधिकार क्षेत्राअधिकार क्षेत्रलअधिकार क्षेत्रयअधिकार क्षेत्र अधिकार क्षेत्रनअधिकार क्षेत्रेअधिकार क्षेत्र अधिकार क्षेत्रकअधिकार क्षेत्रहअधिकार क्षेत्राअधिकार क्षेत्र अधिकार क्षेत्रकअधिकार क्षेत्ररअधिकार क्षेत्र अधिकार क्षेत्रअअधिकार क्षेत्रधअधिकार क्षेत्ररअधिकार क्षेत्रनअधिकार क्षेत्ररअधिकार क्षेत्रयअधिकार क्षेत्रमअधिकार क्षेत्र अधिकार क्षेत्रकअधिकार क्षेत्रीअधिकार क्षेत्र खंडअधिकार क्षेत्र अधिकार क्षेत्र 1 अधिकार क्षेत्र 1 अधिकार क्षेत्र अधिकार क्षेत्र(अधिकार क्षेत्र 6 अधिकार क्षेत्र)अधिकार क्षेत्र अधिकार क्षेत्रकअधिकार क्षेत्रेअधिकार क्षेत्र अधिकार क्षेत्रतअधिकार क्षेत्रहअधिकार क्षेत्रतअधिकार क्षेत्र,अधिकार क्षेत्र अधिकार क्षेत्रअअधिकार क्षेत्रदअधिकार क्षेत्राअधिकार क्षेत्रलअधिकार क्षेत्रतअधिकार क्षेत्र अधिकार क्षेत्रकअधिकार क्षेत्रोअधिकार

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उपाय करने के लिए केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब पक्ष प्रक्रिया के तहत आवश्यकता के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है या उस प्रक्रिया के तहत उनसे अपेक्षित समझौते पर पहुंचने में विफल रहता है या कोई व्यक्ति कार्य करने में विफल रहता है। वर्तमान मामले में स्थिति अलग है। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, नामित मध्यस्थ ने कभी भी 24.3.2015 से पहले कार्यवाही शुरू नहीं की, अर्थात् जब याचिकाकर्ता ने समझौते के खंड 25 ए (vi) का सहारा लिया।

(23) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ऊपर) के मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है,

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि मध्यस्थता समझौता का प्रावधान करता है

एक नामित मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के लिए, अदालतों को आम तौर पर मध्यस्थता समझौते के प्रावधानों को प्रभावी बनाना चाहिए, लेकिन यह आगे दर्ज किया गया कि जहां एक उचित आशंका पैदा करने के लिए सामग्री है कि मध्यस्थता समझौते में उल्लिखित व्यक्ति स्वतंत्र रूप से या निष्पक्ष रूप से कार्य करने की संभावना नहीं है या यदि नामित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश या उसका नामित व्यक्ति, विवाद को नामित मध्यस्थ को भेजने की सहमत प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारणों को दर्ज करने के बाद, अधिनियम की खंड 11 (8) के अनुसार एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। वर्तमान मामले में, नामित मध्यस्थ पक्षों के बीच विवादों में सीधे शामिल था। इस प्रकार, उन्हें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं माना जा सकता था।

(24) मुनुसवे मुदलियार के मामले (उपरोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब तक नामित मध्यस्थ के खिलाफ या तो उसकी ईमानदारी या क्षमता या दुर्भावनापूर्ण या विषय वस्तु में हित या पक्षपात की उचित आशंका के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, तब तक एक नामित और सहमत मध्यस्थ को न्यायालय में निहित विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए नहीं हटाया जा सकता है और न ही हटाया जाना चाहिए। कानून का प्रस्ताव असाधारण है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, नामित मध्यस्थ पक्षों के बीच विवादों में पूरी तरह से और सीधे शामिल होने के कारण, प्रतिवादी उक्त निर्णय से कोई लाभ प्राप्त नहीं

कर सकता है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रतिवादी द्वारा जिन घोषणाओं पर भरोसा किया गया है, वे इसके बचाव में नहीं आते हैं।

(25) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिका की अनुमति दी जाती है। मैं एतद्द्वारा इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हाउस, सेक्टर 40-बी, चंडीगढ़ के निवासी, न्यायमूर्ति को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करता हूँ, जो पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवादों पर ऐसे नियमों और शर्तों पर निर्णय लेने के लिए है जो विद्वान एकमात्र मध्यस्थ को उचित और उचित लगते हैं। निस्संदेह, विद्वान एकमात्र मध्यस्थ पक्षों के संबंधित दावों के संबंध में इस आदेश में व्यक्त किसी भी प्रथमदृष्टया राय से प्रभावित हुए बिना पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का फैसला करेगा।

(26) पंजीकरण को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश को एकमात्र मध्यस्थ को तुरंत सूचित करे ताकि वह संदर्भ में प्रवेश कर सके और मामले पर जल्द से जल्द निर्णय ले सके।

पायल मेहता

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के समिति उपयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निस्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

योगेश कुमार

ट्रांसलेटर